फा.सं. 13011/3/2017-सीबीए-II

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली,

दिनांक 22 सितम्बर, 2017

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय :- जनहित में अन्त्य उपयोग एवं लागत कुशलता हासिल करने हेतु कोयला खानों की ईष्टतम उपयोगिता हेतु कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आबंटित कोयला खानों से निकाले गए कोयले की उपयोगिता में कोयला ब्लॉक आबंटिती पीएसयू को कुछ छुट प्रदान करने हेतु पद्धति।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त वर्णित विषय का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि जनहित में अन्त्य उपयोग एवं लागत कुशलता हासिल करने हेतु कोयला खानों की ईष्टतम उपयोगिता हेतु कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आबंटित कोयला खानों से निकाले गए कोयले की उपयोगिता में कोयला ब्लॉक आबंटिती पीएसयू को कुछ छुट प्रदान करने हेतु पद्धति तैयार करने के लिए अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। आईएमसी की पहली बैठक 07.08.2017 को अपराह्न 03:00 बजे कोयला मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष में हुई थी। आईएमसी ने सिफारिश की कि शुरुआत में उन दो आबंटिती पीएसयू जिन्हें सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कोयला खानें आबटित की गई है, के बीच व्यवस्था की पद्धति पर विचार किया जाएगा।

2. आईएमसी द्वारा अपनी पहली बैठक में विचार विमर्श की गई पद्धति और उस पर दिनांक दो 30.08.2017 के पत्र सं. एफयू-17/2017-आईपीसी के माध्यम से प्राप्त टिप्पणी को देखते हुए इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पद्धति को अनुमोदित किया गया हैः

क. व्यवस्थाएं/करार कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 की धारा 20(1) के अनुसार होंगी।

ख. वर्तमान पद्धति व्यवस्थाएं/करार के लिए तैयार की गई है जो एक पीएसयू (इसके बाद “पीएसयू” के रुप में संदर्भित) जिसे एक ओर सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत कोयला खान (खानें) आबंटित की गई है और दूसरी ओर “अन्य पीएसयू” जिन्हें इसी प्रयोजनार्थ या तो कोयला

खान(खानें) आबंटित की गई है अथवा कोयला लिंकेज प्रदान किए गए हैं, करार करेंगे। ऐसी व्यवस्था/करार के कार्यक्षेत्र में एक पीएसयू द्वारा कोयले अथवा ऐसे कोयले से उत्पादित विद्युत के बदले दूसरे पीएसयू को कोयले का अंतरण शामिल होगा।

ग. ऐसी कंपनी जो सफल बोलीदाता अथवा आबंटिती नहीं है अथवा जिसे कोल लिंकेज प्रदान नहीं किया गया है, के साथ कोयला खान के इष्टतम उपयोग हेतु व्यवस्था की अनुमति नहीं है क्योंकि सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के अनुसार ऐसी व्यवस्था की अनुमति नहीं है।

घ. सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 की धारा 20(1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार करार/व्यवस्थाएं जनहित में तथा लागत दक्षता प्राप्त करने के लिए एक ही अन्त्य उपयोग के लिए कोयला खान की इष्टतम उपयोगिता हेतु होनी चाहिए। समग्र उद्देश्य विद्युत की लागत में कमी करना होना चाहिए।

ड़. पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए सीएमएसपी नियमावली, 2014 के नियम 19(2) में वर्णित विवरण आबंटिती पीएसयू की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

च. कोयला मंत्रालय को आवेदन करने से पूर्व व्यवस्था से जुड़ी दोनों पार्टियों को प्रस्तावित व्यवस्थाओं के संबंध में स्पष्ट रुप से निम्नलिखित प्रमाणित किए जाने चाहिएः

i) ऐसी व्यवस्था से कोयला खान का इष्टतम उपयोग होता है।
ii) ऐसी व्यवस्था से लागत दक्षता प्राप्त होती है।
iii) ऐसी व्यवस्था जनहित में है।

छ. प्रस्तावित व्यवस्था (ओं)/करार (रों) के लिए आवेदन में पूर्ण औचित्य, गणना और उपर्युक्त पैरा में दिए गए निष्कर्षों के आधार का उल्लेख होना चाहिए। प्रस्तावित करार (रों)/व्यवस्था (ओं) के पूर्व और पश्चात विद्युत की लागत में कमी दर्शाते हुए प्रासंगित आकलन संलग्न किए जाने चाहिए। इस प्रकार प्राप्त प्रस्ताव की जांच एक तकनीकि समिति (टीसी) द्वारा की जाएगी जिसका गठन किया जाएगा अथवा लेन-देन सलाहकार (टीए) द्वारा की जाएगी जिसकी नियुक्ति इस परियोजनार्थ की जा सकती है। टीसी/टीए की सिफारिशों सहित रिपोर्ट टिप्पणी हेतु एमओपी को भेजी जाएगी। एमओपी से टिप्पणियां/सिफारिश प्राप्त होने पर कोयला मंत्रालय प्रस्तावित व्यवस्था (ओं)/करार (रों) पर एक निर्णय लेगा।

ज. पार्टियों द्वारा कोई भी अतिरिक्त आवश्यक सूचना दी जानी अपेक्षित है।

झ. चूंकि धारा 20 (1) के तहत व्यवस्था (ओं)/करार (रों) जनहित में है। अतः इनके परिणाम स्वरुप विद्युत की लागत में कमी होनी चाहिए।

ञ. सीईआरसी/एसईआरसी टैरिफ निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करें कि ऐसी व्यवस्थाओं का लाभ ग्राहकों को दिया जा रहा है।

ट. ऐसे कोयले से उत्पादित विद्युत के बदले में अंतरित कोयले के मामले में,
i). इन व्यवस्था (ओं)/करार (रों) के तहत अंतरित कोयले से उत्पादित संपूर्ण विद्युत "द पीएसयू" अथवा इसकी लाभार्थी डिस्कॉम्स को सप्लाई की जाएगी क्योंकि "द पीएसयू" के प्रथम अधिकार में यह शर्त है कि पीएसयू अथवा इसके लाभार्थी डिस्कॉम्स द्वारा न मांगी गई विद्युत को बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति, विद्युत मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए अनुसार, के प्रावधानों के अनुसार माना जाएगा।

ii) कोयला अंतरित करते हुए "द पीएसयू" (अथवा इसकी लाभार्थी डिस्कॉम) को उत्पादित और डिलीवर की गई विद्युत की अवतरित लागत में कोयला अंतरित करने वाले "द पीएसयू" की लाभार्थी डिस्कॉम की परिधि में तदनुरुपी निर्धारित प्रभार, परिवर्ती प्रभार और ट्रांसमिशन प्रभार शामिल होंगे और यह "द पीएसयू" के स्वामित्व वाले संयंत्र (त्रों) में कोयला उपयोग करने के मौजूदा विकल्पों से उत्पादन के लिए परिवर्ती चार्ज में सस्ता होना चाहिए। यह शर्त वहां लागू होगी जहां कोयला अंतरित करने वाली) "द पीएसयू" प्रस्तावित अंतरित कोयले का प्रयोग विद्यमान संयंत्रों में किया जा रहा है तथा इस प्रकार के कोयला अंतरण से उस संयंत्र से उत्पादन में सहायता मिलेगी। जहां पीएसयूस द्वारा कोयले का अतंरण लिंक्ड ईयूपी की नियामक आवश्यकता से अधिक है वहां इस शर्त पर बल नहीं दिया जाएगा।

ठ. इस नीति के तहत अनुमोदित प्रबंध/व्यवस्था अथवा संबंधित आबंटन करार/ सीएमपीडीए के अनुसार को छोड़कर कोयले की किसी ट्रेडिंग अथवा बिक्री की अनुमति नहीं होगी। कोयला खानें विशिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए की गई है।

ड. कोयला उत्पादन के संबंध में करार (रों)/व्यवस्था (ओं) की मॉनिटरिंग सीसीओ द्वारा, उत्पादित एवं डिलिवर की गई विद्युत के संबंध में सीईए द्वारा और टैरिफ के संबंध में संबंधित रेगुलेटर्स द्वारा की जाएगी।

ढ. व्यवस्थाओं का आकलन, यदि इसमें कोयले की ढुलाई रेल द्वारा की जाती है, रेलवे के परामर्श से किया जाना चाहिए।

ण. इस योजना के कार्यान्वयन के अनुसार सामने आने वाले विभिन्न प्रचालन संबधी मुद्दों की जांच करने के लिए विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सीईए और पीओएसओसीओ के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह का गठन किया जाएगा। यह उप-समूह ही कम-से-कम तिमाही में एक बैठक करेगा और संशोधन, यदि कोई हो, हेतु इस प्रक्रिया के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर इस पद्धति की आवधिक समीक्षा करेगा।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जा रहा है।

(रिशन रिंथाथियांग)
अवर सचिव से भारत सरकार
फोन नं. :23073936

सेवा मेः

1. अवर सचिव, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव (आरकेएस), कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. अध्यक्ष, सीईआरसी, तृतीय और चतुर्थ तल, चंदेरलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली।
9. सदस्य (थर्मल), सीईए, सेवा भवन, नई दिल्ली।
10. सीएमडी, एससीसीएल
11. सीएमडी, कोल इंडिया लिमिटेड
12. निदेशक (सीबीए-II), कोयला मंत्रालय

सूचना के लिए प्रतिलिपि प्रेषितः

1. कोयला और रेल मंत्री के ओएसडी
2. सचिव (कोयला) के प्रधान सचिव अधिकारी
3. संयुक्त सचिव (वीबी), कोयला मंत्रालय
4. संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, कोयला मंत्रालय
5. टीडी (एनआईसी), कोयला मंत्रालय- कोयला मंत्रालय के वेबसाइड पर अपलोड करने के लिए